## (iv) for the Table below the proviso, the following Table shall be substituted, namely:---

## "TABLE

	-	~

The year for w	hich i	ntere	st acc	rues	acer ficat		on a f R	interest a certi- s. 100 Rs.
				-	-	-		
First Year		•						13.40
Second Year						•		15.20
Third Year								17.30
Fourth Year						,		19.60
Fifth Year	•							22,20
Sixth Year						•		25.30
	-	-	~			-	-	

Note:—The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.";

(d) for the existing rule 20, the following rule shall be substituted, namely:-

"20. Premature encashment—(1) Notwithstanding anything contained in rule 19 and subject to sub-rules (2), (3) and (4), a certificate purchased on or after the 1st day of April, 1986 may be prematurely creashed in any of the following circumstances, ranely:—

- (a) on the death of the holder or both the holders in case of joint holders;
- (b) on forfliture by a plet g e being a Gazetted Government officer, when the pledge is in conformity with these rules;
- (c) when ordered by a court of Law.

(2) If a certificate is encash d under sub rule (1) within a period of one year from the date of the c rificate, only the face value of the certificate shall be payable and ro interest shall be payable.

(3) If a certificate is encashed under sub rule (i) after the expiry of one year but before the expiry of three years from the date of certificate, the creashment shall be at a discount. On encashment of the certificate, an amount equivalent to the face value of the certificate tog ther with simple interest shall be payable. Such simple interest shall be calculated on the face value, at the rate applicable from time to the  $e^+$  osing a counts under the Post Office Savings Account Rules, 1981, for the complete months for which the certificate has been held. The difference between the aforesaid simple interest and the interest accruit gurder rule 9 shall be deduced to be the discount.

(4) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of the certificate, the amount payable trelusive of interest accrued under rule 19 and after adjustment of discount, shall be as specified in the **Table** below for a certificate of Rs 100 denomination and at a propertionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE					
P. riod from the cate certificate to the date cncashment		Amount payat clusive of ir			
			Rs.		
	-	-	2		
3 years or more, but	less than 3 yea	ars and 6 months	132.00		
3 years and 6 months			138.50		
4 years or more, but	less than 4 year	rs and 6 months	145.00		
4 years and 6 morths	s or more, but	less thar 5 years	152 00		
5 years or more, but	less than 5 year	ars and 6 months	159 00		
5 years and 6 months	s or more, but	less than 6 years	'66 50 <b>"</b>		

(c) in Form 1 and Form 1A, in the statement under paragraph (1), the figures "10" shall be omitted.

[F.No. 2/28/84-NS (iii)]

Note:--The principal rules were issued vide G.S.R. 3(9 (E) dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 751(E) dated 10-12-82, G.S.R. 259(E) dated 11-3-83, G.S.R. 797(E) dated 24-10-83 and G.S.R. 715(E) dated 4-9-1985.

सा. का. नि. 196 ई :- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्न अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्न (सानवां निर्गम) नियम 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) (दूसरा सणोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981
मे, विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम
रखा जाएगा, अर्थात :-

"20 समय --पूर्व भुनाना -- (1) नियम 19 में किसी बात के होते हुए, भी और उपनियम (2) और (3) के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल 1986 को या उसके पश्चात कय किये गये किसी पत्न को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी समय पूर्व भुनाया जा सकेगा, अर्थात :--

- (क) धारक की या संयुक्त धारकों की दशा में दोनों धारकों की मृत्यु होने पर ;
- (ख) जब गिरवी इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर, जो राजपत्नित मरकारी अधिकारी है,
- (ग) न्यायालय का आदेण होने पर।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

	THE GAZETTE OF INDIA		[PART II—SEC. 3(i)]
जाता है तो पत्न का अंकित	पनियम (1) के अधीन भुनाया मूल्य उसमें से, नीचे विनिर्दिष्ट जाने के पक्ष्चान संदेय होगाः	1 5 वर्ष और 6 मग्म या अधिक किन 6 वर्ष से कम	2 7 82-45
एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व	कटौनी नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन सदत्त या संदेय ब्याज के समतुल्य होगी।	टिप्पण – किसी अन्य अभिधान के समायोजन के पश्चात संदेय रकम ऊ	पत्र पर कटौती के
(ii) यदि पत्न की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पज्ञ्चात किन्तु तीन वर्षकी समाप्ति के पूर्व, पत्व भुनाया जाता है।	कटौती, (क) नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन संदत्त या मंदेय व्याज ; और (ख) पत के अकित मूल्य पर, ऐसी दर से जो डाकघर वचत खाता नियम, 1981 के अधीन एकल खाते को समय-समय पर लागू है, उन पूर्ण मासों के लिए जिसके लिये पत धारण िया गया है, संगणित साधा- रण व्याज के बीच अन्तर के समतुल्य होगी।	रकम के अनुपात में होगी। (4) उपनियम (3) में किनी जहां किसी पत्न का कय 1 मार्च, पल्वात नियम 8 के परन्तुक में ढ़ारा या उसकी ओर मे किया गर संदाय उक्त परन्तुक मे विनिद्दिष्ट वि है तो पत्र की नारोख से तीन वर्ष ऐसे पत्न के नगरोख से तीन वर्ष ऐसे पत्न के भुनाने पर संदेय रकम करने के पश्चात वैसी होगी जा नीचे दिष्ट है:	1983 को या उसके विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या है और उसके लिये 5सी रीति से किया गया की समाप्ति के पल्तात कटौती का समायोजन की सारणी ने विनि
को तारीख से तोन वर्ष की र है, तो कटौती का समायोज	उपनियम (1) के अधीन, पत्न समाप्ति के पञ्चात भुनाया जाता न कण्ने के पश्चात संदेय रकम	पश्चात संदेय रकम । पत्र की तारीख से पत्न के भुनाये जाने की तारीख तक की अवधि	कटौती के समायोजन वे पण्चात 100 रु. के
			अभिधान वाले पत्न प <sup>र</sup> मंटेग राज्या (फू. में)
तीचे सारणी में विनिर्दिष्ट सारण	ŕτ		संदेय रकम (रु. में)
सारण		3 वर्षया अधिक किन्नु 3 वर्षऔर 6 मास से कम	संदेय रकम (रु. में) - - 
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पश्रचात संदेध रकम 	ŕτ	3 वर्ष या अधिक किन्नु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम	संदेय रकम (रु. में) 
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पश्रचात संदेध रकम 	र्गा जाने पर कटोती के समायोजन गये जाने कटोती के समायोजन के	3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	संदेय रकम (रु. में) 88.15 तु 83.45
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पड़चात संदेय रकम पत्न की तारीख से पत्न के भुन की तारीख तक की अवधि	गी जाने पर कटोती के समायोजन गये जाने कटोती के समायोजन के पृष्ठचात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र संदेय रकम (रु. मे) 2	3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम 4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	संदेय रकम (रु. में) तु हु 85.85 83.45
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पड़चात संदेय रकम 	गी जाने पर कटोती के समायोजन गये जाने कटोती के समायोजन के पृष्ठचात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र संदेय रकम (रु. मे) 2	3 वर्ष या अधिक किन्नु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम 4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु	संदेय रकम (रु. में) 88.15 तु 83.45 80.90 78.25
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पक्ष्चात संदेय रकम 	गी जाने पर कटोती के समायोजन ाये जाने कटोती के समायोजन के पश्चात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर संदेय रकम (रु. मे) 2 वर्ष और 91–55 ाक किन्तु 89–90	3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम 5 वर्ष से कम 5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम 5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 6 वर्ष से कम	संदेय रकम (रु. में) 88.15 तु 83.45 80.90 78.25 तु 75.45
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पड़चात संदेय रकम 	गी जाने पर कटोती के समायोजन ाये जाने कटोती के समायोजन के पश्चात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर संदेय रकम (रु. मे) 2 वर्ष और 91–55 ाक किन्तु 89–90	3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम 5 वर्ष से कम 5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम 5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्	संदेय रकम (रु. में) 88.15 तु 83.45 83.45 80.90 78.25 तु 75.45 व पर कटौती के समा–
सारण पत्र के समयपूर्व भुनाये के पक्ष्चात संदेय रकम पत्न की तारीख से पत्न के भुन की तारीख तक की अवधि 1 3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 माम या अधि	गी जाने पर कटोती के समायोजन ाये जाने कटोती के समायोजन के पृश्चात 100 रु. के अभिधान वाले पत पर संदेय रेकम (रु. मे) 2 वर्ष ओर 91-55 ाक किन्तु 89-90 वर्ष और 88-15	3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम 3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 4 वर्ष से कम 4 वर्ष या अधिक किन्दु 4 वर्ष और 6 मास से कम 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम 5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 6 वर्ष से कम 5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन् 6 वर्य से कम टिल्पग : किसी अन्य अभिधान के पत् योजन के पश्चात मंदेय रकम ऊप रकम के अनुपात मे हौगो।''।	संदेय रकम (रु. में) 88.15 तु 83.45 83.45 80.90 78.25 तु 75.45 व पर कटौनी के समा-

ł

6

सा का नि 752 (अ) तारोख 10-12-82, सा का नि. 260(अ) तारोख 11-3-83, सा का नि 798(अ) तारोख 24-10-83 आग् गा का नि 716 (अ) तारोख 4-9-85 ओर सा का नि स 85(अ) नारोख 3-2-86 द्वारा सगोधन किया गया था।

 $G > R. N \rightarrow 196$  (E) In exercise of the powers conferred by set to 1 12 of the Government Savings Cettific as Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules 1981, namely —

1 (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) (Second Amendment) Rules, 1986

(2) They shall come into force on the 1st day of April 1986

2 In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules 1981, for the existing rule 20, the following rule shall be substituted, namely —

<sup>2</sup>0 Premature encashment -(1) Notwithstanding any thing contained in rule 19 and subject to sub-rule (2) and (3) a certificate purchased on or after the 1st day of April, 1986 may be prematurely encashed in any of the following circumstances, namely -

- (a) on the death of the holder or both the holders in case of joint holders,
- (b) on firfeiture by a pledge being a Gazetted Govern ment Officer when a pledge is in conformity with the provisions of these rules,
- (c) when ordered by a court of law

(2) It a certificate is encashed under sub-rule (1) the fact value of the certificate shall be payable after deducting therefrom di count as specified below --

(i) If the certificate is chershed	discount equivalent to		
before the explicy of one year	the interest paid or		
from the date of the	payable under sub-		
certificate	rule (2) of rule 19		
(ii) If the certificate is encashed	discount equivalent to		
af er the exp ry of one year	the difference b tween		

af er the exp ry of one year but before the expiry of three years from the date of the certificate (a) the interest paid or payable up for ub rule (2) of tube 19 and

> (b) simple interest cal culated on the face value of the certifi cate at the rate applicible from time to time to single accounts under the Post Office Savings Account Rules, 1981 for the complete months for which the certificate has been held

(3) If a c raficate is envished under sub-rule (1) after the expire fibre year from the date of the certificate the anion at payable after adjustment of discount shall be as specified in the Table below —

## TABLE

Amount payable after adjustment of discount on premature encodment of a certificate

Period from the date of the certificate to the date of its encashement	Amount payable on a certific Rs 100 denomin	ate of
3 years of more but less than 3 ye	ars and 6 months	91 55
3 years and 6 months or more, but	less than 4 years	89 90
4 years or more, but less than 4 ye	ars and 6 months	88 15
4 years and 6 months or more but	less than 5 years	86 35
5 years or more, but less than 5 ye	ars and 6 months	84 45
5 years and 6 months or more, but	t less than 6 years	82 45

Note --- The amount payable after adjustment of discount on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above

> (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), where a certificate has been purchased on or after the 1st March, 1983, by or on behalf of an individual specified in the proviso to rule 8 and payment therefor has been made in any of the modes specified in the said proviso, the amount payable on encashnient of such certificate after the expiry of three years from the date of the certificate after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below —

## TABLE

Amount pavable after adjustment of discount on premature encashment of a certificate

Period from the date of certifi- cate to the date of its encashment	Amount payab on a certific Rs 100/- de tion,	- ,
3 years or more, but less than 3 year	s and 6 months	88 15
3 years and 6 months or more but le	ess than 4 years	85 85
4 years or more but less than 4 years	and 6 months	83 45
4 years and 6 months or more but le	ss than 5 years	80 90
5 years or more but less than 5 years	s and 6 months	78 25
5 years and 6 months or more but le	s than 6 vears	75 45

Note —The amount payable af x adjustment of discount on a certificate of a x oth r denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above

> [F No 2/28/84-NS (1v)] K S SASTRY Jt Secy

Note — The principal rules were published vide G S R 310 (E) dated 24 4 81 and a manded vide G S R 752 (E) aated 10-12 82 G S R 260 (E) dated 11-3-83 G S R798 (E) dated 24 10 83 and G S R 716 (E) dated 4 9 85 and G S R No 85(E) dated 3-2 86.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986